अनुसूची 14 – फारम सं0 563

(8)

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 1 :-

न्यायालय, उपायुक्त, रॉची

एफ०एस०एस० वाद सं० 15/2017–18

22.11.2022

कृष्णा प्रसाद सिंह
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,
सी०एम०ओ० कार्यालय
सदर अस्पताल परिसर, रॉची .... परिवादी/आवेदक

बनाम

1. प्रबंध निदेशक, वैशाली कन्फेक्शनरी
   मनसूरपुर, चमौरुआ रेवा रोड, मजफ्फरपुर
   धुर्वा, रॉची – 834004
2. फिरोज अहमद पिता सगहिर अहमद
   मेसर्स रिगल शोपी, दुकान सं० 3 (पूराना)
   बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड, रॉची .... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई परिवादी कृष्णा प्रसाद सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सी०एम०ओ० कार्यालय, सदर अस्पताल परिसर, रॉची एवं अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची द्वारा अग्रसारित ज्ञापांक 146 दिनांक 18.08.2017 के माध्यम से न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ की गई है। परिवादी/आवेदक ने समर्पित आवेदन द्वारा विपक्षी के विरूद्ध सम्मन जारी करने के उपरान्त, उन्हे धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत मामले मे अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची से पत्र सं० 146 दिनांक 18.08.2017 द्वारा न्याय निर्णयन से संबंधित अभियोजन आवेदन पर स्वीकृति प्राप्त है।

न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के अनुसार परिवादी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

के तौर रॉची क्षेत्र हेतु नियुक्त किये गये है तथा विश्लेषण के निमित खाद्य एकत्रित करने हेतु अधिकृत है। उन्होने दिनांक 20.07.2017 को लगभग 1:30 बजे अपराह्न विपक्षी के दुकान का निरिक्षण किया तथा उनके दुकान से 200 ग्राम X 4 पैकेट "वैशाली बेकरी कुकीज़ जीरा" का नमूना विश्लेषण हेतु मुल्य चुका कर एकत्रित किया। तदोपरान्त उसे चार भाग मे बॉट कर उसे निर्धारित तरीके से सील कर उसे अभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप से लपेट कर उसमे RAN/1471 का कोड अंकित किया तथा उसमे विपक्षी का हस्ताक्षर प्राप्त कर, फार्म VI मे ज्ञापन तैयार करने के उपरान्त उसे विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक के पास भेज दिया।

खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०: 181/एफ०एस०एस०ए०/2017 दिनांक 28.07.2017 के अनुसार उपरोक्त "वै ाली बेकरी कुकीज़ जीरा" नमूने के लेबल/छाप मे "Saturated fat, Transfat, Batch No.-, % of Zeera" प्रदर्शित नही किया गया है जो खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम की कंडिका 2.2.2.3 एवं 2.2.2.2 का उल्लंघन है तथा इस प्रकार विपक्षी के दुकान से प्राप्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की 3 (zf)(c)(i) के अनुसार मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) है।

विपक्षी की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – परिवादी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी सं० 1 के खिलाफ आरोप लगाया गया है झुठा एवं बेबुनियाद है। विपक्षी सं० 1 वैशाली कन्फेक्शनरी की प्रोपराइटर है। उनके फर्म का कार्यक्षेत्र सिर्फ बिहार है, वे झारखण्ड मे कोई व्यवसाय नही करती। परिवादी द्वारा उपरोक्त नमूना विपक्षी सं० 1 के समक्ष जप्त नही की गई है। विपक्षी सं० 2 द्वारा वैशाली कन्फेक्शनरी का फर्जी पैकेट प्रिन्ट कराकर नकली समान बेचा जा रहा है, जिसके लिए विपक्षी सं० 1 द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा दायर कारण पृच्छा मे वर्णित तथ्य संतोषप्रद नही है। उन्होने अपने कथन के समर्थन मे कोई ठोस सबूत पेश नही किया है। विपक्षी के दुकान से प्राप्त खाद्य के विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:181/एफ०एस० एस०ए०

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 3 :-	
	/2017 दिनांक 28.07.2017 से प्रमाणित होता है कि "वैशाली बेकरी कुकीज़ जीरा" नमूने के लेबल/छाप मे "Saturated fat, Transfat, Batch No.-, % of Zeera" प्रदर्शित नही किया गया है जो खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम की कंडिका 2.2.2.3 एवं 2.2.2.2 का उल्लंघन है तथा इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि विपक्षी सं० 2 के दुकान से प्राप्त विपक्षी सं० 1 द्वारा निर्मित नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (zf)(c)(i) के अनुसार मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) है तथा इस प्रकार विपक्षी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 52 के अन्तर्गत दोष सिद्ध होता है। मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) की शास्ति (Penalty) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 मे प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी खाद्य की प्रकृति या तत्व या क्वालिटी के बारे मे भ्रम पैदा होने की संभवना है या मिथ्या गारंटी देता है तो शास्ती (Penalty) का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, देय होगा। अतः विपक्षी सं० 1 एवं 2 द्वारा कारित अपराध की गंभीरता तथा आरोपी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुचित लाभ को ध्यान मे रखते हुए यह कार्यवाही विपक्षी के खिलाफ रू० 25,000/– (रूपये पचीस हजार मात्र) आर्थिक दण्ड के साथ समाप्त की जाती है। अभिहीत अधिकारी आरोपी से उक्त शास्ती (Penalty) की जमा करने के लिए Adjudication Officer-Cum-Deputy Commissioner, Ranchi के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शास्ती (Penalty) जमा करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। यदि अभियुक्त/विपक्षी डिमांड निर्धारित समय के भीतर जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत आरोपी के खिलाफ बिहार लोक माँग वसूली अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट वाद दर्ज कर जुर्माना वसूल किया जाएगा और तब तक डिफॉल्टर का लाइसेंस (यदि कोई हो) निलंबित रहेगा। इसके अलावा अभिहित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगे कि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अभियुक्त/विपक्षी के खाद्य लाइसेंस के निलंबन रहने के	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश... की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 4 :-	
	दौरान वे कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे । इस आदेश की प्रति अभिहित अधिकारी – सह – अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वर्तमान में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर रॉची एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रॉची एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। Rahul उपायुक्त रॉची लेखापित एवं संशोधित Rahul उपायुक्त रॉची	Order communicated to ACMO Ranchi / S.D.O Sadar Ranchi / Food safety officer for information and n.a vide memo no 3765(1) dt. 2.12.22 2.12.22

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.23 16:06:35 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d